योगी के यूपी में धर्मस्थलों से हटेंगे लाउडस्पीकर
देखें अंदर

NBT
नवभारत टाइम्स

नई दिल्ली > सोमवार, 8 जनवरी, 2018 > पौष 18 शक 1939 माघ कृष्णा 7 विक्रम 2074

www.delhi.nbt.in । नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 8 जनवरी 2018

दिल्ली : महानगर : महाकवरेज

Sher Singh Saini

अपर एज के चक्कर में फंसे हैं सैकड़ों पैरंट्स, DoE चुप

अटॉनमी एडमिशन क्राइटेरिया के लिए, उम्र के लिए नहीं

Katyayani.Upreti@timesgroup.com

■ नई दिल्ली : नर्सरी एडमिशन का फॉर्म भरने में अब 10 दिन बचे हैं लेकिन उम्र की उलझन अब तक दूर नहीं हुई है। एजुकेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्कूलों को अटॉनमी एडमिशन क्राइटेरिया तय करने के लिए मिली है, ना कि एज को लेकर, ऐसे में वे एज फिक्स नहीं कर सकते। कई स्कूलों ने अपर एज लिमिट लागू की है, जिससे पैरंट्स परेशान है। हैरानी की बात है कि इस साल दिल्ली सरकार ने अपर एज लिमिट ना रखने की बात की है मगर फिर भी स्कूल आदेश को नहीं मान रहे हैं। नर्सरी में वो बच्चे फंस रहे हैं जो 4 साल या इससे

■ 27 दिसंबर से शुरू हुआ नर्सरी एडमिशन प्रोसेस अपने आखिरी पड़ाव पर है

एक दिन भी बड़े हैं। कई शिकायतें पहुंचने के बावजूद शिक्षा निदेशालय ने अब तक किसी भी स्कूल पर कोई एक्शन नहीं लिया है और ना ही स्कूलों को स्थिति साफ करने के लिए कोई सर्कुलर जारी किया है।

27 दिसंबर से शुरू हुआ नर्सरी एडमिशन प्रोसेस अपने आखिरी पड़ाव पर है। जनरल सीटों के लिए 17 जनवरी तक स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। मगर अपर एज लिमिट का चक्कर अभी भी फंसा है। कई स्कूलों ने इसे नर्सरी के लिए 4 साल

■ जनरल सीटों के लिए 17 जनवरी तक स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं

फिक्स कर दिया है। लाजपत नगर में रहने वाले एक पैरंट कहते हैं, मैंने कई स्कूलों में फॉर्म भरना चाहा है मगर करीब 5 स्कूलों ने 2013 की पैदाइश के बच्चों को नर्सरी में एडमिशन के लिए मना कर दिया है। हम ऑनलाइन फॉर्म भर ही नहीं पा रहे हैं। मैं सभी स्कूलों की शिकायत कर चुका हूं मगर डायरेक्टोरेट अब तक चुप है।

एजुकेशन एक्टिविस्ट खगेश झा का कहना है, 2007 में स्कूलों को अटॉनमी के तहत एडमिशन क्राइटेरिया तय करने का अधिकार मिला था। एलजी के इस नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूलों को सिर्फ एडमिशन क्राइटेरिया तय करने की अटॉनमी मिली थी, ना कि अपर एज को लेकर नहीं। स्कूल अपर एज लिमिट तय नहीं कर सकते। वह कहते हैं, यह सोचने वाली बात है कि उम्र में सिर्फ एक दिन के अंतर से बच्चे की क्लास नर्सरी के बजाय केजी नहीं हो सकती। स्कूल पैरंट्स को मजबूर कर रहे हैं कि वो पसंदीदा स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं कि तो एक क्लास आगे अप्लाई करें। यह पूरी तरह से वॉयलेशन है। ग्रेटर कैलाश में रहने वाले संजीव कहते हैं, हमने हौज खास के लक्ष्मण पब्लिक स्कूल के लिए कोशिश की, मगर वहां अपर एज लिमिट लाग है। मेरा बच्चा 4 साल एक महीने का है, इस वजह से हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं पिछले साल हमने इसलिए फॉर्म नहीं भर क्योंकि बच्चा छोटा था। स्कूल ने अपनी गाइडलाइंस में दिया है कि जो बच्चा 31 मार्च 2015 को तीन साल पूरे करता है और जो 4 साल से छोटा है। लक्ष्मण पब्लिक स्कूल के एक अधिकारी कहते हैं, डीओई ने जो एज लिमिट रखी है, वही हमारी है एक पैरंट कहते हैं, कुछ लोग हमें राय दे रहे हैं कि बच्चे की एज कम करवा लें, मगर ये मुमकिन नहीं क्योंकि यह क्राइम है। आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट में जो एज है, वो बदली नहीं जा सकती।